

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मांग संख्या 16
उपभोक्ता मामले विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व पूंजी जोड़	178.96	36.95	215.91	134.50	243.00	377.50	180.85	256.00	436.85
		30.04	2.00	32.04	25.50	2.00	27.50	28.15	2.00	30.15
		209.00	38.95	247.95	160.00	245.00	405.00	209.00	258.00	467.00
1.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं उपभोक्ता मामले	3451	...	10.27	10.27	...	11.28	11.28	...	13.44
2.	राष्ट्रीय परीक्षण शाला	3425	3.36	15.03	18.39	2.52	19.65	22.17	2.75	26.24
		5425	9.24	...	9.24	7.70	...	7.70	10.75	...
	जोड़		12.60	15.03	27.63	10.22	19.65	29.87	13.50	26.24
3.	उपभोक्ता संरक्षण	3456	71.71	3.45	75.16	82.45	4.49	86.94	83.47	5.85
		3601	31.00	...	31.00	14.78	...	14.78	13.71	...
		3602	3.50	...	3.50	0.72	...	0.72	2.50	...
	जोड़		106.21	3.45	109.66	97.95	4.49	102.44	99.68	5.85
4.	बाट और माप का विनियमन	3475	6.00	2.37	8.37	16.20	3.06	19.26	14.72	3.83
		3601	4.00	...	4.00	12.00	...
		3602	0.80	...	0.80	2.00	...
		5475	5.40	...	5.40	5.40	...	5.40	5.48	...
	जोड़		16.20	2.37	18.57	21.60	3.06	24.66	34.20	3.83
5.	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग	5475	11.00	...	11.00	10.00	...	10.00	9.90	...
6.	बाजारों का विनियमन	3475	20.70	4.70	25.40	3.60	4.43	8.03	16.20	6.49
7.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अंशदान)	3475	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	0.10
8.	उपभोक्ता सहकारी समितिया (नेफेड) को सहायता	3456
9.	हानियों की प्रतिपूर्ति-आवश्यक वस्तुओं की सब्सिडीकृत आपूर्ति	3456	...	1.05	1.05	...	200.01	200.01	...	200.05
		7475	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
10.	सुपर बाजार को ऋण जोड़-उपभोक्ता मामले		166.71	38.95	205.66	143.37	245.00	388.37	173.48	258.00
11.	उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं	3456	...	12.58	12.58	...	6.45	6.45	...	10.40
		3601	...	3.00	3.00	...	2.00	2.00	...	3.00
		3602	...	0.50	0.50	...	0.20	0.20	...	0.50
	जोड़		...	16.08	16.08	...	8.65	8.65	...	13.90
11.1	घटाइए-उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरी की गई धनराशि	3456	...	-12.58	-12.58	...	-6.45	-6.45	...	-10.40
		3601	...	-3.00	-3.00	...	-2.00	-2.00	...	-3.00
		3602	...	-0.50	-0.50	...	-0.20	-0.20	...	-0.50
	जोड़		...	-16.08	-16.08	...	-8.65	-8.65	...	-13.90
	निवल	
उद्योग		2852	21.39	...	21.39	0.63	...	0.63	14.62	...
12.	उपभोक्ता उद्योग									
13.	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान		विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन
		2552	16.50	...	16.50	13.60	...	13.60	18.88	...
		4552	4.40	...	4.40	2.40	...	2.40	2.02	...
	जोड़		20.90	...	20.90	16.00	...	16.00	20.90	...
	कुल जोड़		209.00	38.95	247.95	160.00	245.00	405.00	209.00	258.00
									467.00	
ग.	आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.
1.	उपभोक्ता उद्योग	12860	21.39	...	21.39	0.63	...	0.63	14.62	...
2.	उपभोक्ता संरक्षण	13456	166.71	...	166.71	143.37	...	143.37	173.48	...
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	20.90	...	20.90	16.00	...	16.00	20.90	...
	जोड़		209.00	...	209.00	160.00	...	160.00	209.00	...

1. यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है ।
2. यह प्रावधान राष्ट्रीय परीक्षण शाला के लिए है ।
3. यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है । इसमें उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम के तहत 'विज्ञापन और प्रचार', राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर उपभोक्ता मंचों को मजबूत बनाने के कार्यक्रम की नेटवर्किंग के लिए प्रावधान भी शामिल हैं ।
4. इसमें बाट तथा माप एकक, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं तथा भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान के सचिवालय व्यय के साथ ही क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं के लिए मुख्य निर्माण कार्य तथा मशीनरी और उपकरण हेतु प्रावधान शामिल है। इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर बाट तथा माप संबंधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के कार्यक्रम हेतु प्रावधान भी शामिल हैं ।
5. यह प्रावधान राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के लिए कार्यालय भवन निर्माण हेतु किया गया है ।
6. यह प्रावधान वायदा बाजार आयोग से संबंधित स्थापना व्यय के लिए है। इसमें "वायदा बाजार आयोग का सुदृढीकरण" कार्यक्रम भी शामिल है।
7. यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विधिक माप संगठन को अंशदान देने के लिए है।
- 8 और 9. यह प्रावधान आवश्यक वस्तुओं की सब्सिडी प्राप्त दरों पर आपूर्ति हेतु नैफेड एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, पी.ई.सी. लिमिटेड, एस.टी.सी. ऑफ इंडिया लिमिटेड और एन.सी.सी.एफ. को सहायता अनुदान देने के लिए है ।
10. यह प्रावधान सुपर बाजार को ऋण देने के लिए है ।
11. यह प्रावधान उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत आने वाली स्कीम के लिए है।
12. यह प्रावधान भारत में सोने की हॉलमार्किंग/एसेज केन्द्रों की स्थापना हेतु किया गया है ।
13. यह सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान है।